2.1

प्रपत्र–11

परियोजना का नामः– जिला योजना में जनपद बागेश्वर में नरगोली–सिमायल–भंडारीगांव–सलिया–जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रतिवेदन

जिला योजना 2011–12 के अन्तर्गत जिला अधिकारी, बागेश्वर के पत्रांक 1499/ जिला योजना/ 2011–12 दिनांक 22.10.2011 द्वारा जनपद बागेश्वर में विधान सभा कपकोट के अन्तर्गत नरगोली–सिमायल–भंडारीगांव–सलिया–जग्यूड़ाबास (सेराघाट मिलान) मोटर मार्ग (प्रथम चरण) हेतु रू0 0.50 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। भारत सरकार से वन भूमि स्वीकृति उपरान्त राज्य सरकार द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी। (शासनादेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव में संलग्न है।)

जनपद बागेश्वर में विधान सभा कपकोट के अन्तर्गत सीमान्त गांव नरगोली आवादी (217) सिमायल (127) भंडारीगांव (442) सलिया (27) एवं कफाली त्रिगुड़ा (52) कुल 865 जनसंख्या अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़े हैं। राज्य सरकार द्वारा खातीगांव–नरगोली–चन्तोला मोटर मार्ग स्वीकृत किया गया है। सर्वेक्षण उपरान्त 3.52 है0 वन भूमि गैरवानिकी कार्य के लिए लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन हेतु भारत सरकार के पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./ 06/144/2.013 / एफ.सी/ 152 दिनांक 25.09.2013 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त लो.नि.वि. द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर सम्पूर्ण अनुपालन सूचना नोडल अधिकारी, देहरादून के माध्यम से भारत सरकार को भेजी जा चुकी है जिस पर शीघ्र ही विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने की सम्भावना है। अब स्वीकृत मोटर मार्ग को नरगोली नामक स्थान से प्रस्तावित किया गया है जो उपरोक्त ग्रामों से होते हुए जोग्यूडा बास नामक स्थान पर अल्मोड़ा–सेराघाट राष्ट्रीय राज्य मार्ग में मिल जायेगा जहां पर इस मार्ग की कुल लम्बाई 7.00 कि0मी0 आती है।

इस क्षेत्र का तहसील मुख्यालय, उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैंक, डाकघर, गैस वितरण केन्द्र, राजकीय महाविद्यालय, राजकीय पौलिटेकनिक एवं मुख्य व्यावसायिक केन्द्र कांडा है जहां आने के लिए स्थानीय जनता को लगभग 10 से 15 कि0मी0 पैदल चल कर फिर बाहनों से आना पड़ता है। यातायात की सुविधा न होने से ग्रामीण जनता को शासन द्वारा प्रदत्त 108 चिकित्सा वाहन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही दूरस्थ क्षेत्र में स्थित होने के कारण इन गांवों में कोई भी अधिकारी/ कर्मचारी अपनी सेवायें नहीं देना चाहते जिससे क्षेत्र में मुख्य रूप से चिकित्सा एवं शिक्षा क्षेत्र में स्थिति बहुत खराब है। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर न होने से युवाओं का शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है। गांव खाली हो रहे हैं एवं कृषि भूमि बंजर होती जा रही है। मोटर मार्ग निर्माण होने से बच्चों को विध्यालय आने जाने में सुविधा होगी जिससे बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। ग्रामीण मोटर मार्ग होने एवं कम से कम वन भूमि के उपयोग को ध्यान में रखते हुए 07 मीटर चौड़ाई में ही भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित किया गया है और अवशेष मलवा निस्तारण हेतु लैन्ड शैडयूल में अतिरिक्त भूमि का प्राविधान जोड़ा गया है। यह क्षेत्र चीड़ बाहूल्य क्षेत्र है जिसमें प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में चीड़ के वृक्ष प्राकृतिक रूप से उगते है। मोटर मार्ग निर्माण उपरान्त 5 वर्ष के अन्दर स्वतः ही उगने की वजह से काटे जाने वाले वृक्षों की क्षतिपूर्ति हो जायेगी। उल्लेखनीय है कि जनपद बागेश्वर में लगभग 71 प्रतिशत भू–भाग वनाछादित है। कास्तकारों के पास बिखरी हुई एवं सीमित नाप भूमि होने के कारण जनहित में बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने, वनों की आग से सुरक्षा, पहाड़ी क्षेत्र से पलायन रोकने, आपदा के समय प्रभावितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने हेतु वन भूमि के उपयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं।

सहायक अभियन्ता
क्षेत्रीय खण्ड लो0 नि0 वि0
बागेश्वर

अधिशाषी अभियन्ता
क्षेत्रीय खण्ड लो0 नि0 वि0
बागेश्वर

इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न गुगल मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है। साथ ही 1:50000 पैमाने के इन्डैक्स मानचित्र एवं डिजिटल मानचित्र में भी प्रस्तावित स्वीकृत संरेखण को दर्शा कर प्रस्ताव में लगाये गये हैं।

संरेखण संख्या 1 जो लाल रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण नरगोली नामक स्थान से प्रस्तावित किया गया है। इसके अनुसार मोटर मार्ग के संरेखण में वन पंचायत भूमि तथा नाप भूमि आती है। इस संरेखण से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। इसमें कोई बैन्ड एवं पुल नहीं आते है। इस संरेखण में आरक्षित वन भूमि प्रभावित नहीं होती है। वृक्ष कम प्रभावित होते हैं। मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है। इस संरेखण से सभी ग्रामवासी सहमत है।

संरेखण नं0 2 जो हरे रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का संरेखण आरम्भ में उपरोक्त संरेखण नं0 1 के अनुसार ही रखा गया है। आगे जा कर इसमें आरक्षित वन भूमि आती है तथा मार्ग में 4 बैन्ड एवं 2 पुल आते हैं जिससे इसमें वृक्ष भी अधिक प्रभावित होते है। इसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में मानको के अनुसार ग्रेड न मिलने एवं अधिक आरक्षित वन क्षेत्र प्रभावित होने से ग्रामवासी भी सहमत नहीं है।

इन दोनों संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण नं. 1 को मोटर मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। अतः 7.00 कि.मी. लम्बाई में प्रभावित होने वाली 2.4342 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन एवं लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण तथा वन भूमि में 167 वृक्षों के पातन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव प्रेषित् किया जा रहा है। भविष्य में इस मार्ग के निर्माण हेतु और वन भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0,
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0,
बागेश्वर